



2026:AHC:26150

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 15834 / 2004 से संबद्ध 1 अन्य वाद

श्रीमती मधु

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	महेश शर्मा, एस.पी. सिंह, शरद सिन्हा, विनोद सिन्हा
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश शर्मा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से यह बयान दिया है कि वे कोई और अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करना नहीं चाहते हैं और रिट याचिकाओं का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही कर दिया जाए।
3. पक्षों की सहमति से, रिट याचिकाओं का निर्णय प्रारंभिक चरण पर ही किया जा रहा है।
4. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह विजय प्रताप सिंह की विधवा है, जो दिनांक 01.01.1979 को चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी पद पर वॉटरमैन के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके पश्चात, श्री दीना नाथ चतुर्वेदी और मोहम्मद इसराइल की तृतीय श्रेणी पद पर पदोन्नति होने के कारण, चतुर्थ श्रेणी के दो पद रिक्त हो गए। एक चयन समिति का गठन किया गया और दिनांक 06.02.1991 को रिट-याचिकाकर्ता (के पति) को स्थायी रिक्ति के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश जारी की गई। दिनांक 04.04.1991 को महानिरीक्षक ने उप-पंजीयक को रिट-याचिकाकर्ता को स्थायी रिक्ति पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। चूंकि दिनांक 04.04.1991 के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था इसलिए रिट-याचिकाकर्ता के पति ने रिट-ए संख्या 30545/1991 दाखिल की, जिसमें दिनांक 24.03.1992 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:—

"स्थायी अधिवक्ता को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।

कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 को महानिरीक्षक (पंजीयन) के आदेश दिनांक 04.04.1991 का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

इस मामले को 05.05.1992 को सूचीबद्ध करें।"

5. इसके पश्चात 5/6.03.1993 को, प्रतिवादियों ने आदेश दिनांक 04.04.1991 का अनुपालन किया और रिट-याचिकाकर्ता के पति को चपरासी के पद पर नियुक्ति प्रदान की। यद्यपि याचिकाकर्ता के पति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चपरासी के पद पर कार्य कर रहे थे, तथापि रिट याचिका संख्या 30545/1991 दिनांक 08.09.1999 को निष्प्रभावी होने के कारण खारिज कर दी गई, जिसका आदेश निम्नानुसार है:—

"समय बीतने के साथ, यह याचिका निष्प्रभावी प्रतीत होती है। तदनुसार इसे निष्प्रभावी होने के कारण खारिज किया जाता है।

अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, तो वह समाप्त माना जाएगा।"

6. बताया गया है कि रिट-याचिकाकर्ता के पति ने एक पुनर्स्थापना आवेदन दाखिल की थी, लेकिन रिट याचिका संख्या 30545/1991 में दिनांक 08.09.1999 को पारित आदेश को बहाल करने की मांग करने वाली वह पुनर्स्थापना आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात याचिकाकर्ता के पति प्रताप सिंह, जो चपरासी के रूप में कार्यरत थे, उनकी 29.09.2000 को मृत्यु हो गई। रिट-याचिकाकर्ता ने मृतक प्रताप सिंह की पत्नी होने के नाते—जो 5/6.03.1993 से चपरासी के स्थायी पद पर कार्यरत थे और जिनकी मृत्यु 29.09.2000 को हुई थी—मृतक आश्रित नियुक्ति के लिए अपना दावा पेश किया। इसके बाद, महानिरीक्षक (पंजीयन), उ.प्र. इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.01.2001 और जिला रजिस्ट्रार, मथुरा, अपर जिलाधिकारी (एफ/आर) के परिणामी आदेश दिनांक 18.01.2001 द्वारा याचिकाकर्ता को चपरासी (परिचारक) के रूप में मृतक आश्रित नियुक्ति प्रदान की गई। चूंकि रिट याचिका संख्या 30545/1991 जो पति द्वारा दाखिल की गई थी दिनांक 08.09.1999 को खारिज हो गई थी, और यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के पति ने विभाग को याचिका खारिज होने की सूचना नहीं दी थी, इसलिए याचिकाकर्ता की मृतक आश्रित नियुक्ति को वैध नहीं माना गया। इसके परिणामस्वरूप, 11.03.2004 को जिला रजिस्ट्रार, मथुरा/अपर जिलाधिकारी (एफ/आर) द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द करने और उसकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित किया गया।

7. जिला रजिस्ट्रार मथुरा/अपर जिलाधिकारी (एफ/आर) मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2004 को चुनौती देते हुए—जिसके माध्यम से रिट-याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं—मुख्य रिट याचिका प्रस्तुत की गई।

8. मुख्य रिट याचिका में 20.04.2004 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:—

"इस बीच, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2004, संलग्नक-11 के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी और रिट-याचिकाकर्ता नियमित वेतन के भुगतान की हकदार होगी।"

9. इसके पश्चात, दिनांक 20.01.2021 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:—

"याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पति को 06.03.1993 को उप-पंजीयक कार्यालय में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 29.09.2000 को अपनी मृत्यु तक निरंतर कार्य किया। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद याचिकाकर्ता को 08.01.2001 को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दी गई थी। रिट याचिका संख्या 30545/1991 का दिनांक 08.09.1999 को निष्प्रभावी होकर खारिज होना याचिकाकर्ता की मृतक आश्रित नियुक्ति को रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।

रिट याचिका के पैरा '9' में किए गए इस कथन का कि याचिकाकर्ता के पति को 06.03.1993 को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था, प्रति-शपथपत्र के पैरा '10' में उचित जवाब नहीं दिया गया है। केवल इतना कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पति ने माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 24.03.1992 के निर्देशों के अनुसार अपनी सेवाएं दी थीं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



इस न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित दिनांक 24.03.1992 के आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी को महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता पर विचार करने के लिए की गई सिफारिश दिनांक 04.04.1991 का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था। यह ज्ञात नहीं है और न ही प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि क्या याचिकाकर्ता के पति को स्थायी पद पर नियुक्त किया गया था या यह 06.03.1993 को एक अस्थायी नियुक्ति थी। नियुक्ति का मूल आदेश अभिलेख पर नहीं है।

अतः, कोर्ट के लिए याचिकाकर्ता के पति की नियुक्ति की प्रकृति का पता लगाना संभव नहीं है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता दोनों को 06.03.1993 को उप-पंजीयक कार्यालय में चपरासी के रूप में हुई नियुक्ति की प्रकृति का खुलासा करने के लिए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता को याचिकाकर्ता के चयन और नियुक्ति का पूरा अभिलेख पेश करने का निर्देश दिया जाता है। पूरक प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है।

पूर्व में दिया गया अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा।

दिनांक 12.2.2021 को अतिरिक्त वाद सूची में प्रस्तुत किया जाए।"

10. मृतक प्रताप सिंह की पत्नी और मृतक आश्रित नियुक्त होने के नाते, याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तिथि यानी 08/18.01.2001 से चपरासी/परिचारक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करती रही और वह 30.09.2024 को सेवानिवृत्त हो गई। सेवानिवृत्ति के बाद, चूंकि पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता ने संबद्ध रिट याचिका दाखिल की। उस याचिका को मुख्य याचिका के साथ संबद्ध कर दिया गया और अब यह इस न्यायालय के समक्ष है।

11. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जिला रजिस्ट्रार, मथुरा/अपर जिलाधिकारी (एफ/आर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2004, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त की गई थीं, एक क्षण के लिए भी टिकने योग्य नहीं हैं।

12. उक्त दलीलों को विस्तार देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट-याचिकाकर्ता के पति, प्रताप सिंह को स्वयं प्रतिवादियों द्वारा महानिरीक्षक (पंजीयन) द्वारा उप-पंजीयक को दिनांक 04.04.1991 को जारी की गई सिफारिश के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। चूंकि उक्त सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए याचिकाकर्ता के पति प्रताप सिंह ने रिट-ए संख्या 30545/1991 दाखिल की, जिसमें दिनांक 04.03.1992 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रतिवादियों को उनके अपने ही आदेश का अनुपालन करने की आवश्यकता बताई गई थी। तदनुसार, 5/6.03.1993 को याचिकाकर्ता के पति को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। चूंकि याचिकाकर्ता के पति के अनुसार उन्हें नियुक्ति मिल चुकी थी, इसलिए उक्त रिट याचिका पर आगे ध्यान नहीं दिया गया और वह दिनांक 08.09.1999 को 'निष्प्रभावी' होकर खारिज हो गई। हालांकि दिनांक 31.03.2000 को एक पुनर्स्थापना आवेदन दाखिल की गई थी, लेकिन 29.09.2000 को याचिकाकर्ता के पति प्रताप सिंह का स्वर्गवास हो गया। तर्क यह है कि जब प्रतिवादियों की दिनांक 04.04.1991 की अपनी ही सिफारिश का अनुपालन स्वयं प्रतिवादियों द्वारा कर दिया गया था और वह सिफारिश आज भी अस्तित्व में है, और याचिकाकर्ता के पति को नियुक्ति मिल चुकी थी तथा उन्होंने अपनी मृत्यु तक कर्तव्यों का निर्वहन किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और उनके विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं था, तब उक्त रिट याचिका के लंबित रहने या न रहने की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। विशेष रूप से तब, जब यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ रिट-कोर्ट ने कोई सकारात्मक आदेश पारित किया हो, बल्कि इसके विपरीत, न्यायालय ने केवल प्रतिवादियों को उनके अपने ही आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया था। दलील यह है कि एक बार जब उक्त रिट याचिका की बर्खास्तगी की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती, तो 08/18.01.2001 को याचिकाकर्ता को मृतक आश्रित के रूप में दी गई नियुक्ति पूरी तरह से वैध है। प्रतिवादियों का यह मामला नहीं है कि प्रताप सिंह की नियुक्ति धोखाधड़ी या अवैध तरीके से प्राप्त की गई थी। याचिकाकर्ता, एक मृतक आश्रित नियुक्त कर्मचारी होने के नाते, सेवा में बने रहने की हकदार है और वह न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत सही ढंग से सेवा में बनी रही, और सेवानिवृत्ति के बाद वह सेवानिवृत्ति लाभों की हकदार है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश एक अतिरिक्त कारण से भी टिकने योग्य नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने से पहले उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

13. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता के पति की नियुक्ति रिट-ए संख्या 30545/1991 में प्रदान किए गए अंतरिम संरक्षण के आधार पर थी और उक्त रिट याचिका के खारिज होने के साथ ही, उनके सभी अधिकार स्वतः समाप्त हो गए।

14. मैंने न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

15. तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। यह निर्विवाद है कि रिट-याचिकाकर्ता के पति, प्रताप सिंह, दैनिक/तदर्थ आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वॉटरमैन के रूप में कार्यरत थे। दीना नाथ चतुर्वेदी और मोहम्मद इसराइल नामक दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी पद पर पदोन्नति के पश्चात, रिट-याचिकाकर्ता द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के दावे पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया और 06.02.1991 को सिफारिश की गई। इसके पश्चात, 04.04.1991 को महानिरीक्षक (पंजीयन), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने याचिकाकर्ता को स्थायी आधार पर नियुक्त करने की सिफारिश जारी की। चूंकि दिनांक 04.04.1991 की सिफारिश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता के पति प्रताप सिंह ने रिट-ए संख्या 30545/1991 दाखिल की, जिसमें 24.03.1992 को उनके अपने ही आदेश का अनुपालन करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। याचिकाकर्ता के पति को 5/6.03.1993 को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। यद्यपि उक्त रिट याचिका दिनांक 08.09.1999 को निष्प्रभावी होकर खारिज हो गई, लेकिन जो तथ्य प्रासंगिक होगा वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता के पति केवल न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अंतरिम संरक्षण के आधार पर सेवा में बने रहे थे, या स्पष्ट रूप से रिट-कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 24.03.1992 के माध्यम से केवल प्रतिवादियों को उनके अपने ही आदेश दिनांक 04.04.1991 का अनुपालन करने की अपेक्षा की थी।

16. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल से पूछे गए एक तीखे सवाल पर कि क्या याचिकाकर्ता के पति की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले आदेश दिनांक 04.04.1991 को वापस लिया गया था या नहीं, उनका उत्तर नकारात्मक में था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि रिट-ए संख्या 30545/1991 में दिनांक 24.03.1992 का एक अंतरिम आदेश था, लेकिन उस अंतरिम आदेश को नियुक्ति प्रदान करने का एकमात्र आधार नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से तब, जब रिट याचिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का 'निष्प्रभावी' होकर खारिज होना उन अधिकारों को नहीं छीन सकता जो दिनांक 04.04.1991 के आदेश के पारित होने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्पन्न हुए थे। यद्यपि बताया गया है कि याचिकाकर्ता के पति ने दिनांक 08.09.1999 के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन रिट याचिका की स्थिति अभी भी "निष्प्रभावी होने के कारण खारिज" ही है।

17. बहरहाल, न्यायालय की राय में, उक्त रिट याचिका का मात्र निष्प्रभावी होकर खारिज होना बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं होगा, विशेष रूप से तब जब रिट-याचिकाकर्ता के पति अपनी मृत्यु तक चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्य करते रहे और याचिकाकर्ता को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई। इस मुद्दे को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पति की नियुक्ति पर कभी भी अवैध होने का प्रश्न नहीं उठाया गया, बल्कि इसके विपरीत, सिफारिश याचिकाकर्ता के पति के ही पक्ष में थी और एक बार जब उन्होंने अपनी मृत्यु तक कर्तव्यों का निर्वहन किया, तो याचिकाकर्ता को मृतक आश्रित नियुक्ति दी गई। प्रतिवादियों का यह मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता योग्य नहीं थी या वह पात्र नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत, वह 30.09.2024 को सेवानिवृत्ति तक अंतरिम आदेश के तहत निरंतर सेवा में बनी रही। समग्र परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रतिवादियों की सेवा की है, अतः याचिकाकर्ता लाभों की हकदार है।

18. तदनुसार, रिट याचिकाओं का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाता है:—

(ए) मुख्य रिट याचिका में आक्षेपित जिला रजिस्ट्रार मथुरा/अपर जिलाधिकारी (एफ/आर) मथुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2004 को रद्द किया जाता है।

(बी) प्रतिवादियों को एक परमादेश जारी किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को पेंशन और अन्य सेवा लाभों सहित सेवानिवृत्ति के देयों का भुगतान करें, और यदि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि तक का वेतन बकाया है, तो उसका भुगतान भी करें। यह प्रक्रिया इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर पूरी की जाए।

5 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"